<u>कार्यालय कलेक्टर,(आदिवासी विकास शाखा),जिला उत्तर बस्तर कांकेर</u>

परियोजना प्रतिवेदन

भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर में अंतर्गत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर का संचालन किया जा रहा है ।

जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत ग्राम अंजनी विकासखण्ड कांकेर के खसरा नंबर 472 रकबा 4.66 हेक्ट. एवं 409 रकबा 2.00 हेक्ट. कुल प्रस्तावित रकबा 6.66 हेक्टेयर भूमि में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर की स्थापना हेतु भवन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर के भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि कांकेर–दुधावा मार्ग पर ग्राम करप से ग्राम अंजनी मार्ग पर स्थित है ।

उक्त चयनित भूमि छोटेझाड़ के जंगल मद अंतर्गत होने के फलस्वरूप वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना है । व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 6.66 हेक्टेयर वनभूमि की मांग आवश्यक न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।

(माखन सिंह ध्रुव)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कांकेर